फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : कन्हैयालाल विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 201/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता खुमाण दर्ज होने से उसे संशोधित कर किशनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता खुमाण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बेजरड़ा पटवार हल्का सांरगपुर (भीण्डर) तहसील कानोड़ की आराजी नंबर 615, 616 में प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता खुमाण दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता खुमाण अंकित है जिससे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का नाम किशनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता खुमाण दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र खुमाण दर्ज है जबकि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता खुमाण अंकित है। तहसीलदार कानोड़ द्वारा ग्राम बेजरड़ा में किशनलाल पिता खुमाण जाति गुरू सा. भरडीया व कन्हैयालाल पिता खुमाण गुरू सा. भरडीया के नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बताया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा नाम संशोधित किया जाना उचित बताया। हमने प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व विपक्षी द्वारा पेश जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली व दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि किशनलाल व कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति हो। प्रार्थी द्वारा पूर्व की ऐसी कोई जमाबंदी पेश नहीं की जिससे कि यह प्रमाणित हो कि पूर्व में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल हो व बाद में लिपिकिय त्रुटि से प्रार्थी के नाम का गलत अंकन हो गया हो। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में कोई रेकर्ड संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई है जिसे शुद्व किया जाना हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested